



राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा), बाड़मेर

क्रमांक : प. 35() () आ.प्र. एवं सहा./ COVID-19/2019/28631

दिनांक : 23/03/2020

“ आदेश ”

नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये राजस्थान ऐपिडेमिक एक्ट की धारा 2 के तहत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक प. 35() () आ.प्र. एवं सहा./ COVID-19/2020/ 28452 दिनांक 21.3.2020 के द्वारा गठित सेल में पूर्व में नियुक्त नोडल अधिकारी सहायक निदेशक ,लोक सेवाएँ, बाड़मेर के अवकाश पर से आने तक के लिए राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर को नियुक्त किया जाता है। राजस्व अपील अधिकारी पूर्व में जारी आदेश के अनुसार कार्यवाही करते हुए पालना से अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

(अंशदीप)

जिला कलक्टर,

(आ.प्र.सहा. एवं नागरिक सुरक्षा),

बाड़मेर

क्रमांक : प. 35() () आ.प्र. एवं सहा./ COVID-19/2019/28640-41

दिनांक : 23/03/2020

- प्रतिलिपि:-
1. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर
 2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् बाड़मेर
 3. राजस्व अपील अधिकारी , बाड़मेर
 4. सहायक निदेशक, लोक सेवाएँ बाड़मेर
 5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर
 6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर /बालोतरा
 7. सहायक निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी बाड़मेर
 8. निजी सहायक जिला कलक्टर/अति. जिला कलक्टर ,बाड़मेर

जिला कलक्टर,

(आ.प्र.सहा. एवं नागरिक सुरक्षा),

बाड़मेर